



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 627) पटना, बृहस्पतिवार, 18 जून 2026

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

9 जून 2026

सं0 18/विविध-18/2017/572(18)B/स्वा०—नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

- (1) यह नियमावली "बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) (संशोधन) नियमावली 2026" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम-1(2) सह पठित बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण और विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2025 के नियम-2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह राज्य के 40 शय्या (बेड) से ऊपर के सभी नैदानिक स्थापनों पर लागू होगा।"

3. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम-1 में उप-नियम-(4) का अन्तःस्थापन निम्नवत किया जायेगा :-

"नियम-1(4) - ऊपर नियम 1(2) में बताए गए नैदानिक स्थापना के अलावा, अन्य नैदानिक स्थापना के पास "बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013" के तहत अपना पंजीकरण करवाने का विकल्प रहेगा और ऐसे नैदानिक स्थापना को राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित किसी अन्य नियम/विनियम के अधीन पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

4. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम-20(1) का प्रतिस्थापन निम्नवत किया जायेगा :-

"अधिनियम की धारा-14(1) और 14(3) के अधीन आवेदक द्वारा एस०जी०ए०आर० उपाबंध के अनुसार फार्मेट में आवश्यक सूचना सहित औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ संबद्ध विभागीय स्वीकृतियों के लिए सभी

आवेदन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) के केन्द्रीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से करेंगे।"

5. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम-20(2) का प्रतिस्थापन निम्नवत किया जायेगा :-

"अधिनियम की धारा-24 तथा 25 के अधीन आवेदक राष्ट्रीय परिषद द्वारा विहित किये जाने वाले फार्म और फार्मेट में नैदानिक स्थापनों की विभिन्न कोटियों के लिए न्यूनतम मानको एवं कार्मिक की अपेक्षाएँ पूरा किये जाने के साक्ष्य सहित स्थायी रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ संबद्ध विभागीय स्वीकृतियों हेतु सभी आवेदन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) के केन्द्रीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से करेंगे।"

6. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम-23(1) का प्रतिस्थापन निम्नवत किया जायेगा :-

"जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार, स्वयं यह संतुष्ट होने के पश्चात कि आवेदक ने नैदानिक स्थापन चलाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानकों और कार्मिक के प्रावधान सहित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है, राष्ट्रीय परिषद द्वारा तैयार किये गये फार्मेट के अनुसार स्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र आवेदक को उक्त एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) के केन्द्रीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से निर्गत करेंगे।"

7. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम-24 में उप नियम-10 निम्नवत जोड़ा जायेगा :-

"नैदानिक स्थापनों द्वारा पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार एकल नोडल एजेंसी को किया जायेगा।"

8. बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के नियम-27 में उप नियम-07 निम्नवत जोड़ा जायेगा :-

"नैदानिक संस्थानों के स्थापना हेतु विभिन्न विभागों (यथा-अग्नि, प्रदुषण, औषधि आदि) द्वारा अंकित किये गये सभी कमियों/त्रुटियों का संकलन एकल नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा तथा उक्त कमियों/त्रुटियों का निराकरण वैधानिक समय सीमा के भीतर करने हेतु उक्त एजेंसी द्वारा आवेदक को समेकित ज्ञापन जारी किया जायेगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमार रवि,
सरकार के सचिव।

The 9th June 2026

File No. 18/Vividh-18/2017/572(18)B—In exercise of the powers conferred by Section 54 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010, the Governor of Bihar hereby makes the following Rules to amend the Bihar State Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013:-

1. Short title, extent, and commencement. —

- (i) These Rules may be called the "Bihar State Clinical Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Rules, 2026."
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (iii) It shall come into force on the date of their publication in the Bihar Gazette.

2. Rule-1(2) of the Bihar State Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013, read with Rule-2 of the Bihar Clinical Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Rules, 2025 is hereby substituted by the following:

"Rule-1(2)-It shall extend to the whole of the State of Bihar and shall apply to all clinical establishments in the State having more than 40 beds."

3. Insertion of Sub-rule- (4) in Rule-1 of the Bihar State Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013:

"Rule-1(4)-Clinical establishments other than as mentioned in above Rule 1(2) may have option to get themselves registered under the "Bihar State Clinical Establishments

(Registration and Regulation) Rules, 2013” and such clinical establishments shall not be required to obtain registration under any other rule/regulation promulgated by the State Government."

4. Rule-20(1) of the Bihar State Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013 shall be substituted as under:-

"Rule-20(1)- The applicant shall apply to the District Registration Authority for provisional registration as well as related departmental approval through the centralised digital portal of the Single Nodal Agency(SNA) with the necessary information in the format as per the SG AR Annexure under Section 14(1) and 14(3) of the Act.

5. Rule-20(2) of the Bihar State Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013 shall be substituted as under:-

"Rule-20(2)- The applicant shall apply to the District Registration Authority for permanent registration as well as related departmental approval through the centralised digital portal of the Single Nodal Agency(SNA) with the necessary information filled and with evidence of having met the requirements of minimum standards and personnel for different categories of Clinical Establishments in a form and format that shall be prescribed by the National council under Section 14(1) and Section 30 of the Act. However, if a laboratory or diagnostic center is part of an establishment providing outpatient/ inpatient care, no separate registration will be required.

6. Rule-23(1) of the Bihar State Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013 shall be substituted as under:-

"Rule-23(1) The district Registration Authority shall grant a certificate of permanent registration As per format developed by National council through above mentioned centralised digital portal of the Single Nodal Agency after satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements and criteria, including provision of minimum standards and personnel required to run the clinical establishment."

7. Insertion of Sub-rule-(10) in Rule-24 of the Bihar State Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013:

"Rule-24(10) The Clinical Establishments shall pay the Processing fee in addition to the registration fee to the Single Nodal Agency as determined by the State Government from time to time."

8. Insertion of Sub-rule-(7) in Rule-27 of the Bihar State Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013:

"Rule-27(7) The Single Nodal Agency shall compile all deficiencies/defects pointed out by various departments (like Fire, Pollution, Drugs etc.) for setting up Clinical Establishments and a consolidated memorandum will be issued by said agency to the applicant for rectification of the said deficiencies/defects within the statutory time period."

By the order of the Governor of Bihar
Kumar Ravi,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 627-571+100-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>